

फार्म
अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016-17

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2016-17

1 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम, सुभाष चन्द्र गुप्ता पिता स्व: श्री छगनलाल गुप्ता 2 वर्तमान धारित पद, सहायक अभियंता(सिविल)
3 कार्यालय का नाम, अधीक्षण यंत्री (परी./संचार) वृत्त नागदा 4 वर्तमान वेतन- 37510+6600 5. भविष्य निधी क्रमांक- 24421207
संख्या- 87610051

6 कर्मचारी

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला उज्जैन	रहवासी घर	9 मी. x 15 मी.	रु 60 लाख (बाजार मूल्यानुसार)	स्वयं के नाम पर	मण्डल से वर्ष 1999 में रु 2.16 लाख का ऋण प्राप्त किया। भूखण्ड रु 30 हजार में मधुवन गृह निर्माण संस्था से दिनांक 27.03.1996 को खरीदा जका 31.03.2000 का निर्माण 28.03.2000 को 3-10-2000 को पूरा हुआ था।	निरंक	भवन निर्माण का अनुमानित खर्च रु 2.45 लाख वर्ष 1999 में प्राप्त ऋण व शेष राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त की।
	भूखण्ड	9 मी. x 15 मी.	रु 12 लाख (बाजार मूल्यानुसार)	धर्मपत्नि वन्दना गुप्ता के नाम पर	पूर्व में शाजापुर लालघाटी पर अनुमति प्राप्त 6 मी. x 15 मी. भूखण्ड को बेचकर प्राप्त धनराशि से कय किया। कय दिनांक 16.12.2010 को रु 2.05 लाख में किया था।	निरंक	पूर्व में धर्मपत्नि को उनकी पतक संपत्ति से मिली हिस्से की राशि में से शाजापुर में भूखण्ड कय किया था जिसे दिनांक 11.10.2010 को रु 1.95 लाख में देच दिया था।

हस्ताक्षर:- 

दिनांक :- 21.04.2017

नाम:- सुभाष चन्द्र गुप्ता

पद:- सहायक अभियंता(सिविल)

0 जहां लागू न हो काट दिजिए

0 ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।

0 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है

टिप्पणी:- मंडल द्वारा म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य के यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली व उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित रथावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।